न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पाटोली

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर ,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 18/2018

निर्णय दिनांक:– 12.06.2018

उनवान

1.देवलाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामभज पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
3.शंकर पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
4.मुकेश पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
5.जगदीशी बेवा जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
6.सीता पुत्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
7.कविता पुत्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.नाथूलाल पुत्र भागुता जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2..तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0
3.शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ बडोदा शाखा अलीगढ जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:– श्री रामकिशन सेनी, वकील वादीगण
श्री बी0एल0जैन प्रतिवादी न0 1

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पाटोली पर पेश हुयी। उभय पक्षों का सुना गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादीगण के खातेदारी एवं पुश्तैनी आराजीयात ख0न0354 रकबा 0.04, ख0न0 569 रकबा 0.03, ख0न0 637 रकबा 0.02, ख0न0 681 रकबा 0.16, ख0न0 797 रकबा 3.66, ख0न0 846 रकबा 4.37 कुल किता 6 कुल रकबा 8.27 है0 तथा प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी व पुश्तैनी आराजी ख0न0 1037/798 रकबा 3.90, ख0न0 301 रकबा 0.03, ख0न0 570 रकबा 0.03, 634 रकबा 0.02, 682 रकबा 0.15, ख0न0 845 रकबा 4.15 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 8.27 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा मे स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी न0 1 एक ही परिवार के सदस्य थे तथा आराजीयात उनको विरासत से प्राप्त हुयी है। उक्त आराजीयात का दोनों पक्षकारों ने बटवारा भी करवा लिया था तथा ख0न0 846 प्रतिवादी न0 1 के कब्जे काश्त की आराजी है तथा विगत 70 वर्षो से प्रतिवादी न0 1 ही काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी न0 1 के द्वारा ही ट्यूब वैल, कुआ आदि लगा रखा है। सहवन से उक्त ख0न0 वादीगण के खातेदारी मे दर्ज हो गया, जबकि उक्त ख0न0 से वादीगण का कोई लेना देना नही है। खसरा नम्बर 1037/798 वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा विगत 70 वर्षो से वादीगण व उनके पूर्वज ही काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त आराजी मे ट्यूब वेल व डोल लगा रखी है। परन्तु तकासमा के दौरान ख0न0 1037/798 सहवन से प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी मे दर्ज हो गया है। उक्त आराजी से प्रतिवादी न0 1 का कोई वास्ता नही है। आराजी ख0न0 846 वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी मे तथा ख0न0 1037/798 प्रतिवादी न0 1 के स्थान पर वादीगण के खातेदारी मे सहवन से दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

कर दिया गया। आराजी ख0न0 846 प्रतिवादी न0 1 तथा आराजी ख0न0 1037/798 वादी के खातेदारी मे दर्ज कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे। आराजी ख0न0 846 रकबा 4.37 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा वादी के खातेदारी से हटाई जाकर प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी मे एवं आराजी ख0न0 1037/798 रकबा 3.90 है0 प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी से हटाई जाकर वादीगण के खातेदारी जिला टोंक से जुगलकिशोर, राधेश्याम, मदनलाल का नाम हटाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 ने दिनांक 22.03.2018 को उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादीगण ने पी0डब्लू 1 देवलाल, पी0डब्लू 2 रामभजन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा प्रतिवादी न0 1 ने डी0 डब्लू 1 नाथूलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

वादीगण व प्रतिवादी न0 1 के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 वाके ग्राम पाटोली मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 846 रकबा 4.36 है0 वादीगण के खातेदारी मे दर्ज है तथा खातेदार मुकेश का 1/7 हिस्सा बैंक आफ बडौदा शाखा अलीगढ के राहिन दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके ग्राम पाटोली मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 1037/798 रकबा 3.90 है0 प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण के द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे 1 देवलाल, पी0डब्लू 2 रामभजन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है । प्रतिवादी न0 1 ने अपने जवाब दावें के समर्थन मे डी0 डब्लू 1 नाथूलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वाद व जवाब दावे से सिद्व है कि आराजी ख0न0 846 रकबा 4.36 है0 वाके ग्राम पाटोली पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा आराजी ख0न0 1037/798 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम पाटोली पर प्रतिवादी न0 1 का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी न0 1 को आराजी ख0न0 1037/798 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम पाटोली वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। इसी प्रकार वादीगण को आराजी ख0न0 846 रकबा 4.36 है0 को प्रतिवादी न0 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। वादी न0 4 मुकेश ने अपने हिस्से पर ली गई ऋण राशि को सम्बन्धित बैंक मे जमा करवा दिया है। राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय राजस्व लोक अदालत की भवना को मध्यनजर रखते हुये वादीगण के वाद को डिकी किया जाना उचित समझता है।

आराजी ख0नं0 1037/798 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा का वादीगण तथा आराजी ख0न0 846 रकबा 4.36 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा का प्रतिवादी न0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

प्रपत्र –5
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पाटोली

उनवान

1.देवलाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामभज पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
3.शंकर पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
4.मुकेश पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
5.जगदीशी बेवा जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
6.सीता पुत्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
7.कविता पुत्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.नाथूलाल पुत्र भागुता जाति गुर्जर निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2..तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0
3.शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ बडोदा शाखा अलीगढ जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रामकिशन सेनी, वकील वादीगण
श्री बी0एल0जैन प्रतिवादी न0 1

मुकदमा नम्बर :–18 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री रामकिशन सेनी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व श्री बी0एल0जैन वकील मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0नं0 1037/798 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा का वादीगण तथा आराजी ख0न0 846 रकबा 4.36 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा का प्रतिवादी न0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner